# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दक्षिण जिला)
# साकेत न्यायालय परिसर, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13-02-19

संख्या 2604-2674 /परिपत्र/हिंदी विभाग/दक्षिण जिला/2019

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दक्षिण) के निर्देशानुसार सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र पृष्ठांकन संख्या 7887-8087/हिंदी/237-238/2019, दिल्ली, दिनांक 06.02.19 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. कार्यालय निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला. साकेत न्यायालय परिसर, नई दिल्ली।
2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, दक्षिण जिला, साकेत न्यायलय परिसर, नई दिल्ली (इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीन सभी कार्यरत कर्मचारियों को इस परिपत्र से अवगत कराएं)।
3. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) / शाखा प्रभारी, दक्षिण जिला, साकेत न्यायलय परिसर, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने सभी कार्यरत कर्मचारियों को इस परिपत्र से अवगत कराएं।

(हरज्योत सिंह भल्ला)
**नोडल अधिकारी, (हिंदी अनुभाग)**
**दक्षिण जिला, साकेत न्यायालय परिसर,**
**नई दिल्ली ।**

45/3
8-2-19

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

## परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली की स्वीकृति से आप सभी को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के 8वें खण्ड में की गई संस्तुतियों/सिफारिशों में उल्लिखित विषयों से अवगत करवाया जा रहा है, जो निम्न प्रकार हैं:–

1. केन्द्रीय राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों, साधारण आदेश, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रैस विज्ञप्तियों और किसी कार्यालय/निगम द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिये तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा–प्ररूपों के लिये हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही प्रयोग में लाई जायें।
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार किसी भी विभाग में हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं और सेवा अभिलेखों में हिंदी/द्विभाषी रबड़ स्टाम्प की सहायता से रूटीन प्रविष्टियां की जा सकती हैं।
4. दिल्ली सरकार के किसी विभाग में कोड/मैनुअल केवल अंग्रेजी में तैयार न किये जायें और इस समय अंग्रेजी में मौजूद समस्त कोड/मैनुअल एक वर्ष के भीतर हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनवाने के लिये इस विभाग को अनुवाद के लिये भेजे जायें।
5. जब भी कोई विभाग या स्थानीय निकाय/उपक्रम अपनी वेबसाइट तैयार करें तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार की जाये। जिस विभाग की वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है, उस विभाग द्वारा उसे हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
6. सरकार के समस्त विभागों/उपक्रमों/निगमों के समस्त कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से डाला जाये।
7. यदि कोई विभाग विज्ञापन देना चाहता है तो वे अंग्रेजी के अख़बार में हिन्दी के विज्ञापन भी दे सकते हैं और सभी विभाग विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करायें। इन विज्ञापनों पर कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिन्दी और 50 प्रतिशत अंग्रेजी एवं प्रान्तीय भाषाओं पर खर्च किया जाये।
8. उपक्रमों/निगमों में विद्यमान सभी स्वदेशी और विदेशी यंत्रों/संयत्रों पर समस्त विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में दर्ज किये जायें।
9. भविष्य में सभी उपक्रमों/निगमों के प्रतीक चिन्ह/लोगो या तो द्विभाषी अथवा चित्रात्मक बनवाए जायें।
10. उपक्रमों/निगमों द्वारा निर्यात योग्य समस्त सामग्री पर आवश्यक विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में ही अंकित किए जायें।
11. उपक्रमों/निगमों के ब्रोशर, बिल–वाउचर जैसे मुद्रित सामग्री और प्रचार–प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाए।
12. सभी उपक्रमों/निगमों की वेबसाइटें शत–प्रतिशत द्विभाषी रूप में तैयार की जानी चाहिये तथा उनपर वे अपने कार्य–कलापों और उत्पादों के बारे में अंग्रेजी के साथ–साथ अनिवार्य रूप से हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध कराएं।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त संस्तुतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनके अनुरूप अपना अपेक्षित सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी या द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) रूप में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, निष्पादित करे।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली–सह–
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

Nodal Officer (Hindi)
28/08.02.19